कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी गोतमबुद्धनगर।

पत्रांकःभ–32 / सीएफओ / जीबीएन–09(1) / 794 दिनांकः जुलाई 2 2011.

सेवा मे,

मुख्य परियोजना अभियन्ता,
वाटर वर्क्स कम्पाउण्ड सेक्टर–19 नौएडा,
जनपद–गौतमबुद्धनगर।

विषयः मैसर्स महामाया बालिका इण्टर कालेज सेक्टर–44 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे निर्मित एडमिनिशस्ट्रेशन ब्लाक भवन की अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाओ की अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में,।

महोदय,

कृप्या उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्याः 152 नोएडा / एस0पी0ई (एम) / 11 दिनांकः 27–045–2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे जिसके द्वारा उक्त प्रश्नगत निर्मित भवन की अग्निशमन व्यवस्थाओं का निरीक्षण / परीक्षण कर अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अपेक्षा की गई है।

उक्त के सम्बन्ध मे अग्निशमन अधिकारी नोएडा फेज प्रथम के साथ भवन का निरीक्षण किया गया महामाया बालिका इण्टर कालेज सेक्टर 44 जनपद गौतमबुद्धनगर के एडमिनिशरट्रेशन ब्लाक के टेरिस पर टेरिस टेक क्षमता 25,000 ली0. टेरिस पम्प, डाउनकामर सिस्टम, होजरील, लेण्डिंग वाल्व, होज बाक्स, होज पाइप, बेसमेन्ट मे आटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम, मैनुअल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम, ओटामेटिक डिडेक्टर्स एण्ड एलार्म सिस्टम मानको के अनुसार स्थापित एवं कार्यशील दशा मे पाये तथा भवन के निकास मार्ग एवं भवन तक के पहुँच मार्ग भी मानकों के अनुसार पाये गये।

अतः उपरोक्तानुसार उपलब्ध अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं के आधार पर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निम्न शर्तो के अधीन निर्गत की जाती हैः–

1– भवन मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा मे बनाऐं रखने हेतु मैन्टीनेन्स सैडयूल बनाया जाये तथा उसी के अनुसार कार्यशील दशा मे रखा जायें।

2– भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की त्राुटि पाये जाने पर इसकी सूचना अविलम्ब स्थानीय अग्निशमन केन्द्र को दी जाए।

3– भवन के सेटबेक एवं निकास मार्ग सदैव अवरोध मुक्त रखे जाये।

4–जनपद गौतमबुद्धनगर के अग्निशमन केन्द्र नौएडा फेज–प्रथम / द्वितीय / तृतीय एवं ग्रेटर नौएडा के टेलीफोन न0 101, 2521111, 2562999, 4356491, 2569109 एवं अन्य आकस्मिक सेवाओं के नम्बरों को फायर कन्ट्रोल रूम से अंकित करेगे।

5–वर्ष मे एक बार अग्निशमन विभाग से सिस्टम के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

6–भवन मे स्थापित अग्निशमन व्यवस्थाओ सदैव अकार्यशील दशा मे होने पर त्वरित कार्यवाही कर सुचारू रखा जाना अनिवार्य होगा तथा व्यवस्थाऐं अकार्यशील होने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।

(महावीर सिंह संधू)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

प्रतिलिपिः 1–अग्निशमन अधिकारी नौएडा फेज–1 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

2–प्रधानाचार्य, महामाया बालिका इण्टर कालेज सेक्टर–44 नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को अनुपालनार्थ।